

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 29/2016

सरकार जरीये श्री रवंत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लोकेश अग्रवाल पुत्र श्री कमल किशोर अग्रवाल उम्र-20वर्ष (एफ बी ओ)
मैसर्स- यूनाईटेड फूड प्रोडक्ट्स, प्लॉट संख्या 63, प्रभू भवन के पीछे,
नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर
निवासी- 63, प्रभू भवन के पीछे, नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर
2. श्रीमती मीना देवी अग्रवाल पत्नी श्री कमल किशोर अग्रवाल (मालिक)
मैसर्स- यूनाईटेड फूड प्रोडक्ट्स, प्लॉट संख्या 63, प्रभू भवन के पीछे,
नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर
निवासी- 63, प्रभू भवन के पीछे, नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री रवंत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री लोकेश अग्रवाल पुत्र श्री कमल किशोर अग्रवाल उम्र-20 वर्ष मैसर्स- यूनाईटेड फूड प्रोडक्ट्स, प्लॉट संख्या 63, प्रभू भवन के पीछे, नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर निवासी- 63, प्रभू भवन के पीछे, नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक



अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, संशोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र-5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, यूनाईटेड फूड प्रोडक्ट्स का एफएसएसआई लाईसेन्स, यूनाईटेड फूड प्रोडक्ट्स का वेट-03 प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र श्री लोकेश अग्रवाल, नमूना एम-1051 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एम-1051 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एम-1051 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एम-1051 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, पहचान पत्र श्री लोकेश अग्रवाल, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 6911-12, जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या 252/एक्ट/2015/284, न्यायनिर्णयन स्वीकृति हेतु लिखा पत्र की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 11.03.2016 को 01.30 पी.एम पर श्री लोकेश अग्रवाल पुत्र श्री कमल किशोर अग्रवाल उम्र-20 वर्ष मैसर्स- यूनाईटेड फूड प्रोडक्ट्स, प्लॉट संख्या 63, प्रभू भवन के पीछे, नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर निवासी- 63, प्रभू भवन के पीछे, नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुरकी दुकान पर विक्रेता की हेसियत से उपस्थित मिलने पर श्री लोकेश अग्रवाल को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होंने 12214032001026 एवं फर्म का वेट-03 प्रमाण-पत्र एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया।

उपरोक्त परिसर का निरीक्षण करने पर चना टिकडी पापड (ब्राण्ड गांधी) के 80 पैकेट पैकेटस आम जनता को विक्रेय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 448/- नगद देकर चना टिकडी पापड (ब्राण्ड गांधी) 400 ग्राम के 8 पैकेटस वास्ते जांच खरीदी एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा चना टिकडी पापड (ब्राण्ड गांधी) 400ग्राम के 8 पैकेटस को 2-2 के चार भागो में गत्ते के खाली डिब्बो में डालकर चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार किया। लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एम-1051 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं



खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनों पर एम-1051 चार पेपर स्लिप एम-1051 हस्ताक्षर युक्त अनिल मित्तल, जिज्ञा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में स्वयं , गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा दिनांक 11.03.16 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एम-1051 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 11.03.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 11.03.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 6911-12 दिनांक 31.03.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस./252/एक्ट/2016/284 दिनांक 21.03.2015 प्रति के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया चना टिकडी पापड (ब्राण्ड गांधी) मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/स्वीकृति/एम-1051/12161-62 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने मिथ्याछाप (Misbranded) चना टिकडी पापड (ब्राण्ड गांधी) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 27-6-16 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु बार बार अवसर दिया गया परन्तु बावजूद तामिल जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बन्द किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस./252/एक्ट/2016/284 दिनांक 21.03.2015 द्वारा अप्रार्थीगणो द्वारा निर्मित चना टिकडी पापड (ब्राण्ड गांधी) का सैम्पल नमूना संख्या एम-1051 जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया।



अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणों द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी हैं, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणों को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगणों पर राशि रूपये 5000 /- (अखरे रूपये पाँच हजार मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11/2/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णायन अधिकारी
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
एवं अतिरिक्त जिला
जोधपुर
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांक : - 669 - 673

दिनांक 11-2-2017

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री रेवंत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
4. श्री लोकेश अग्रवाल पुत्र श्री कमल किशोर अग्रवाल उम्र-20वर्ष (एफ बी ओ)
मैसर्स- यूनाईटेड फूड प्रोडक्ट्स, प्लॉट संख्या 63, प्रभू भवन के पीछे,
नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर
निवासी- 63, प्रभू भवन के पीछे, नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर
5. श्रीमती मीना देवी अग्रवाल पत्नी श्री कमल किशोर अग्रवाल (मालिक)
मैसर्स- यूनाईटेड फूड प्रोडक्ट्स, प्लॉट संख्या 63, प्रभू भवन के पीछे,
नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर
निवासी- 63, प्रभू भवन के पीछे, नवदुर्गा मन्दिर रोड, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर



न्याय निर्णायन अधिकारी
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर